



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240585
CG-DL-E-25112022-240585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757]
No. 757]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

सं. 61/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 848(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए, कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

क्र.संख्या	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन			
(1)	(2)	(3)			
1.	अधिसूचना संख्या 73/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005, जिसे सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 134 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1"> <tr> <td>“134क</td> <td>8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00</td> <td>सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो”।</td> </tr> </table>	“134क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो”।
“134क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो”।			

	के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।						
2.	अधिसूचना संख्या 151/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 जिसे सा.का.नि. 942(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 68 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1" data-bbox="566 385 1436 517"> <tr> <td>“68क</td> <td>8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00</td> <td>सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो” ।</td> </tr> </table>	“68क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो” ।		
“68क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो” ।					
3.	अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जून, 2011 जिसे सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 01 जून, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1382 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1" data-bbox="566 714 1412 927"> <tr> <td>“1382क</td> <td>8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00</td> <td>सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो</td> <td>0.0</td> <td>0.0” ।</td> </tr> </table>	“1382क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो	0.0	0.0” ।
“1382क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो	0.0	0.0” ।			
4.	प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जुलाई, 2011 जिसे सा.का.नि. संख्या 499(अ), दिनांक 01 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1423 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1" data-bbox="566 1066 1412 1198"> <tr> <td>“1423क</td> <td>8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00</td> <td>सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो</td> <td>0.0” ।</td> </tr> </table>	“1423क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो	0.0” ।	
“1423क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो	0.0” ।				
5.	प्रधान अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011 जिसे सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 680 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:- <table border="1" data-bbox="566 1395 1412 1568"> <tr> <td>680क</td> <td>8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00</td> <td>सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो</td> <td>0.0” ।</td> </tr> </table>	680क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो	0.0” ।	
680क	8524 11 00 या 8524 12 00 या 8524 19 00	सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो	0.0” ।				

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/39/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 73/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005, को सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 जिसे सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

2. प्रधान अधिसूचना संख्या 151/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि. 942(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 जिसे सा.का.नि. 917(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
3. प्रधान अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जून, 2011 को सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 01 जून, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 जिसे सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
4. प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जुलाई, 2011 को सा.का.नि. संख्या 499(अ), दिनांक 01 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 जिसे सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
5. प्रधान अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 जिसे सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2022

No. 61/2022-Customs

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the following notifications of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments			
(1)	(2)	(3)			
1.	Notification No. 73/2005 -Customs, dated the 22 nd July, 2005, published in the Official Gazette, <i>vide</i> , G.S.R. 498(E), dated the 22 nd July, 2005.	In the said notification, in the Table, after serial number 134 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: - <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">“134A</td> <td style="width: 40%;">8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00</td> <td style="width: 45%;">Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones”.</td> </tr> </table>	“134A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones”.
“134A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones”.			
2.	Notification No. 151/2009 -Customs, dated the 31 st December, 2009, published in the Official Gazette, <i>vide</i> , G.S.R. 942(E), dated the 31 st December, 2009	In the said notification, in the Table, after serial number 68 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: - <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">“68A</td> <td style="width: 40%;">8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00</td> <td style="width: 45%;">Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones”.</td> </tr> </table>	“68A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones”.
“68A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones”.			

3.	Notification No. 46/2011 -Customs, dated the 1 st June, 2011, published in the Official Gazette, <i>vide</i> , G.S.R. 423 (E), dated the 1 st June, 2011.	In the said notification, in the Table, after serial number 1382 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: - <table border="1" data-bbox="667 271 1433 409"> <tr> <td data-bbox="667 271 786 409">“1382A</td> <td data-bbox="786 271 979 409">8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00</td> <td data-bbox="979 271 1267 409">Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones</td> <td data-bbox="1267 271 1326 409">0.0</td> <td data-bbox="1326 271 1433 409">0.0”.</td> </tr> </table>	“1382A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0	0.0”.
“1382A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0	0.0”.			
4.	Notification No. 53/2011 -Customs, dated the 1 st July, 2011, published in the Official Gazette, <i>vide</i> , G.S.R. 499(E), dated the 1 st July, 2011.	In the said notification, in the Table, after serial number 1423 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: - <table border="1" data-bbox="667 519 1433 658"> <tr> <td data-bbox="667 519 786 658">“1423A</td> <td data-bbox="786 519 979 658">8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00</td> <td data-bbox="979 519 1321 658">Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones</td> <td data-bbox="1321 519 1433 658">0.0”.</td> </tr> </table>	“1423A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0”.	
“1423A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0”.				
5.	Notification No. 69/2011 -Customs, dated the 29 th July, 2011, published in the Official Gazette, <i>vide</i> , G.S.R. 593(E), dated the 29 th July, 2011.	In the said notification, in the Table, after serial number 680 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: - <table border="1" data-bbox="667 768 1433 907"> <tr> <td data-bbox="667 768 786 907">“680A</td> <td data-bbox="786 768 979 907">8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00</td> <td data-bbox="979 768 1321 907">Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones</td> <td data-bbox="1321 768 1433 907">0.0”.</td> </tr> </table>	“680A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0”.	
“680A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0”.				

[F. No. CBIC-190341/39/2022-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. **73/2005**-Customs, dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498(E), dated the 22nd July, 2005 and was last amended by notification No. 23/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 326(E), dated the 30th April, 2022.
2. The principal notification No. **151/2009**-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 942(E), dated the 31st December, 2009 and was last amended by notification No. 60/2021-Customs, dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 917(E), dated the 30th December, 2021.
3. The principal notification No. **46/2011**-Customs, dated the 1st June, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 423(E), dated the 1st June, 2011 and was last amended by notification No. 23/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 326(E), dated the 30th April, 2022.
4. The principal notification No. **53/2011**-Customs, dated the 1st July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 499(E), dated the 1st July, 2011 and was last amended by notification No. 23/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 326(E), dated the 30th April, 2022.
5. The principal notification No. **69/2011**-Customs, dated the 29th July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 593(E), dated the 29th July, 2011 and was last amended by notification No. 23/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 326(E), dated the 30th April, 2022.